9/10/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी संख्या 01 हाजिर नहीं पूर्व में भी हाजिर नहीं। पूर्व में हाजिर रहने का अवसर दिया जा चुका है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 2 से 5 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं। बार-बार आवाज लगाई गई हाजिर नहीं। हाजिर नहीं आने से अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार रूपवास की ओर से पूर्व में जवाब प्रार्थना पत्र पेश करा जा चुका है। हाजिर वकील प्रार्थी ने बहस हेतु निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा शम्भुपुरा की आ0 स0 513, 514 व 515/514 प्रार्थी की खातेदारी आराजियात है जिसके सामिल आ0 सं0 394, 395, 396, 387 व 388 है जो कि आम सड़क 435 से लगी है जिसके सामिल आ0 सं0 398 है प्रार्थी की आराजियात आम सड़क 435 से लगी है मगर सैटलमेंट विभाग की गलती से प्रार्थी की आराजियात व आ0 स0 435 के मध्य आ0 स0 518 अंकित कर दी जो कि गलत है। आ0 स0 518 किस्म रास्ता दोयम विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज है। उक्त नक्शे में गलत अंकन से विपक्षी विवाद कर हमें खातेदारी आराजियात से बेदखली पर उतारू है व अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजियात का नक्शा ट्रेस दुरुस्त कराने का निवेदन किया। अप्रार्थी पेशकार सरकार तहसीलदार रूपवास से प्राप्त जवाबानुसार

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

App-A
Crm-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत ____________ मुकाम ____________

कैलाश चन्द्र बनाम लादूलाल

मुकदमा ____________ नं. 143 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	पैमाईश पूर्व एवं वर्तमान राजस्व रेकार्ड की जांच अनुसार मौजा शम्भुपुरा के आ० न० 518 रकबा 0.13 हेक्टर किस्म रास्ता है जो कि साबिक आ० न० 500 मीन में निहित था। हाल आ० न० 435 रकबा 0.47 हेक्टेयर किस्म सड़क दर्ज रेकार्ड है जिसके साबिक आराजी नम्बर 398 थे। उक्त आराजी नम्बर 398 के दक्षिण और साबिक आ० न० 387, 388, 390 एवं 391 स्थित थे जो कि साबिक आ० न० 398 से सटे हुये थे। साबिक आ० न० 387, 388, 390, 391 एवं 391 के क्रमश हाल आ० न० 413, 414, 416 एवं 417 है जो वर्तमान में आ० न० 435 (साबिक आ० न. 398) से सटकर स्थित नहीं है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड नक्शा में आराजी नम्बर 413, 414, 416 417 तथा 435 के मध्य आ० न 418 दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार से पैमाईश पूर्व साबिक व हाल नक्शा ट्रेस में भिन्नता होना जाहिर आया है। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया तत्पश्चात मौके का अवलोकन किया। हाल व साबिक रेकार्ड के अवलोकन से नक्शा में परिवर्तन होना स्पष्ट जाहिर होता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में साबिक नक्शा अनुसार हाल नक्शा में सुधार किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़	